गाँधी मैदान, पटना में डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन हेतु भू–भाग आवंटित किये जाने से संबंधित शर्तें :–

1. दिनांक 10.11.2023 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आम सूचना के आलोक में इच्छुक आयोजकों को सूचित किया जाता है कि गाँधी मैदान, पटना के निर्धारित 70,000 वर्गफीट भू–भाग में डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन हेतु दिनांक 14.11.2023 को पूर्वाहन 10.30 बजे डाक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता का चयन किया जाना है। अतएव इच्छुक आयोजकों को उक्त डाक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी संस्था के Letter Head पर आवेदन के साथ उक्त मेला से संबंधित वांछित दस्तावेज (डिमांड ड्रॉफ्ट सहित) को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में दिनांक 13.11.2023 को अपराहन 05.00 बजे तक जमा करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है।

2. आयोजक को उनकी संस्था के **Lettter Head** पर समर्पित किये जाने वाले **आवेदन के साथ** निम्नांकित **दस्तावेज / बैंक ड्रॉफ्ट** समर्पित करना **अनिवार्य** होगा अन्यथा उनके **आवेदन** पर **कोई विचार नहीं** किया जायेगा :–

(i.) **निबंधन शुल्क** के रुप में 500/– रू० का **डिमांड ड्रॉफ्ट** 'SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI' के पक्ष में, जो **Non-refundable** होगा।

(ii.) संस्था / फर्म के प्रोपराईटर का AADHAR, वैध **आवासीय प्रमाण–पत्र** एवं संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक / संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त **वैध आचरण प्रमाण–पत्र** की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति। *संस्था / फर्म के एक से अधिक **प्रोपराईटर / पार्टनरशिप** होने की स्थिति में सम्मलित व्यक्ति का **आधार, आवासीय प्रमाण–पत्र** एवं **आचरण प्रमाण–पत्र** की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।*

(iii.) संस्था / फर्म का PAN, GST निबंधन की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति। डिजनीलैण्ड मेले में लगाये जाने वाले सभी सुरक्षित झूलों की सूची छायाचित्र सहित, जिसे गठित कमिटी द्वारा अनुशंसित किया है।

(iv.) कम से कम विगत 03 बार किये गये डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन संबंधी दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(v.) डिजनीलैण्ड मेला में लगाये जाने वाले सभी सुरक्षित झूलों का वैध Fitness Certifcate एवं Insurance Certificate की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(vi.) डिजनीलैण्ड मेले में किसी प्रकार का नृत्य आदि से संबंधित कोई कार्यक्रम संचालित नहीं कराये जाने एवं किसी भी प्रकार के जोखिम भरे करतब जैसे **"मौत का कुँआ"** / खतरनाक झूले नहीं लगाये जाने एवं उक्त मेले हेतु समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति से संबंधित Affidavit/**शपथ प्रमाण–पत्र** मूल में।

(vii.) डिजनीलैण्ड मेला हेतु अधिकतम 70,000 वर्गफीट भू–भाग का आरक्षण व्यावसायिक दर पर किये जाने हेतु **मो० 73,76,410/– रू०** आरक्षण योग्य देय अंतिम अवधि दिनांक 05.01.2024 तक **सुरक्षित जमा राशि (Reserved amount)** का **बैंक ड्रॉफ्ट** "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" के पक्ष में।

(viii.) सुरक्षित जमा राशि **(Reserved amount)** हेतु जमा किये जाने वाले **बैंक ड्रॉफ्ट** पर आवेदनकर्ता **संस्था / प्रॉपराईटर** का **नाम अंकित** होना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यालय द्वारा **बैंक ड्रॉफ्ट की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।**

3. डिजनीलैण्ड मेला हेतु आयोजक को भू–भाग का आवंटन प्रस्तावित आरक्षण योग्य देय अंतिम अवधि दिनांक 05.01.2024 तक किया जायेगा।

4. आयोजक को डिजनीलैण्ड मेला में आमजनों के सुलभ आवागमन हेतु वाहनों की **निःशुल्क** पार्किंग की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी।

5. डिजनीलैण्ड मेले के आयोजन हेतु निर्धारित जमा सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) के ऊपर अधिकतम बोली (H1) लगाने वाले किसी 01 (एक) आयोजक को उच्चतम डाक बोली राशि में शेष राशि जमा की जाने वाली कुल राशि जमा किये जाने एवं जिला नियंत्रण कक्ष, पटना से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त होने के उपरांत ही डिजनीलैण्ड मेले के आयोजन हेतु आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. चयनित **उच्चतम डाक वक्ता (H1) आयोजक** को डिजनीलैण्ड मेला में झूले आदि का अधिष्ठापन किये जाने तथा मेला संचालन के 03 दिनों पूर्व लिखित आवेदन के माध्यम से श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय को सूचित करना होगा, जिससे कि गठित कमिटी द्वारा मेला में लगे सभी प्रकार के झूले (विशेषकर बड़े झूल) आदि का physical verification किया जा सके।

7. चयनित उच्चतम डाक वक्ता आयोजकों को ऊलेन मेले संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण एवं आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण को हटाये जाने हेतु आरक्षण आदेश में वर्णित अवधि तक ही दिया जायेगा।

8. आयोजक द्वारा आरक्षण आदेश में निर्धारित समयावधि में डिजनीलैण्ड मेला के आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना/सामान आदि आवंटित भू–भाग से नहीं हटाया जाता है तो आरक्षण आदेश में वर्णित प्रावधान अनुसार संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जायेगी।

9. डाक प्रकिया में भाग लेने वाले अन्य आयोजकों को उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) का बैंक ड्रॉफ्ट उच्चतम डाक वक्ता (H1) आयोजक के चयनोपरांत उनके संस्था के Letterpad पर आवेदन के साथ सम्बद्ध संस्था प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के ID Proof की छायाप्रति कार्यालय में प्राप्त कर लौटा दिया जायेगा।

आदेशानुसार